



प्रेषक,
मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,
निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2026
विषय-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दहगंवा- बदायूं के अवशेष भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-आई/475518/2026/UPDTE/21/2026 दिनांक 20.02.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व योजना एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **दहगंवा- बदायूं** के भवन निर्माण कार्य हेतु कान्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये भवन के लिये कुल अनुमोदित लागत रूपये 505.53 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-जी0आई0/340(1)/52-1-2012-13(एम0एस0डी0पी0)/13 दिनांक 24.05.2013 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 193.00 लाख, शासनादेश संख्या-10/2016/273/52-1-2016-31(एम0एस0डी0पी0)/16 टी0सी0-1 दिनांक 25.11.2016 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 119.53 एवं शासनादेश संख्या- 34/2023/223/52-1-2023-168608 दिनांक 15.02.2023 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रूपये 193.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 505.53 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा शासनादेश संख्या-71/आई/1271919/2026/89-1002(099)/13/2023, दिनांक 19.03.2026 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दहगंवा- बदायूं के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत 648.81 लाख (वर्क डन रू0 505.53 लाख +वर्क टू बी डन रू0 143.28 लाख) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **दहगंवा- बदायूं** के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित वर्क टू बी डन की धनराशि **रू0 143.28 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख अट्ठास हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश दिनांक 19.03.2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित के अधीन प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,43,28,000 (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002030300 अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम ,उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- जिलाधिकारी, बदायूँ।
- 5- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (RED) लखनऊ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
- 9- वित्त नियंत्रक, सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
- 11- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 125, जवाहर भवन,लखनऊ ।
- 12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।